



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26377

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1761/2026

हरिओम कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: कृष्ण कांत तिवारी, सुनील कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार और राज्य-प्रत्यर्थी(गण) की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह विकास खंड घोरावल, जिला सोनभद्र में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है। याची के विरुद्ध 5,52,000/- रुपये की राशि से संबंधित कथित अनियमितता के संबंध में थाना घोरावल, जिला सोनभद्र में मुकदमा अपराध संख्या 148/2018, धारा 409 आई.पी.सी. के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 2,76,000/- रुपये की राशि जमा कर दी थी, जिसके पश्चात याचिकाकर्ता को 22.09.2018 को निलंबित कर दिया गया था और जांच पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया और 30.10.2025 को उन्हें बहाल कर दिया गया। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पक्ष में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे संबंधित न्यायालय द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन 2,76,000/- रुपये की राशि वापस करने/कम करने के रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना प्रत्यर्थियों को दावे पर विचार करने हेतु निर्देश देने के लिए है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया चतुर्थ प्रत्यर्थी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला सोनभद्र द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना आवश्यक है।
5. ऐसे तर्क पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे गरिमापूर्वक स्वीकार करते हैं।
6. विरोधी पक्षकारों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को चतुर्थ प्रत्यर्थी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भीतर कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही करेंगे। यदि चतुर्थ प्रत्यर्थी की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो दस्तावेज उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।

7. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त की है।
8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

आशु

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"